न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

राजस्व अपील सं0 14/2023

उनवान

श्री जगदीश पुत्र जेठू उम्र लगभग 60 वर्ष जाति माली, निवासी मालियों की बाड़ी, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान

————अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, किशनगढ, जिला अजमेर (राजस्थान)

————रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रकरण अंतर्गत धारा 251 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पारित आदेश विरूद्ध

उपस्थितिः—

1. श्री शिवा पंवार अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर अभिभाषक राजकीय पेरोकार

—: आदेश :—

दिनांक :— 30.07.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्थान काश्तकारी मुकदमा 01/2023 उनवान राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का किशनगढ ए बनाम जगदीश पुत्र जेठू जाति माली निवासी मालियों की बाडी तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपील बहस में अपीलान्ट अभिभाषक ने अपील कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की कब्जे काश्त की खातेदारी राजस्व ग्राम किशनगढ ए के खसरा संख्या नम्बर 2230 में दर्ज है। अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान् के मध्य आपसी सहमति से एक सहमति प्रलेख दिनांक 25.07.2011 को निष्पादित कर बंट—बंटवारा तहरीर वो तकमील कर सभी खातेदारान् अपने—अपने हिस्से पर काबिज तथा सहमति पूर्वक खसरा संख्या 2230/7 को संयुक्त भूमि रास्ते रूप में छोड़ी हुई है जिसे सभी सह खातेदारान्

जिला कलक्टर
अजमेर

द्वारा स्वीकृति दी गई थी। सन् 2022 में उक्त स्वीकृत प्रचलित रास्ते पर सहखातेदारान् द्वारा रामदेव, सूरजमल पुत्र रामचन्द्र जाति माली निवासी मालियों की बाडी द्वारा रोडी, पत्थर डालकर अवरूद्ध कर दिया था जिस पर अपीलार्थी द्वारा जुलाई 2022 तथा अगस्त 2022 में क्रमबद्ध तहसीलदार महोदय, उपखण्ड अधिकारी महोदय, किशनगढ, श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय अजमेर को प्रार्थना पत्र उक्त प्रचलित रास्ते पर बाधा, रूकावट हटाने बाबत समक्ष प्रस्तुत किये गये थे जिस पर दिनांक 23.12.2022 को तहसीलदार महोदय किशनगढ़ के आदेश दिनांक 19.12.2022 की पालना में मय थाना किशनगढ मय जाब्ता भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त प्रचलित रास्ते पर किये गये अवैध अतिक्रमण, बाधा हो हटाया गया। उक्त प्रचलित रास्ते पर अतिक्रमण हटाने पर रामदेव पुत्र रामचन्द्र, सूरजमल, हरनारायण, विश्राम, रामेश्वर सहखातेदारान् ने रंजिश वश द्वेषतापूर्ण रास्ते पर बाधा, कोटडी निर्माण के बाबत रास्ते पर किये पक्के निर्माण को हटाने बाबत दिनांक 22.12.2022 को सोच समझी साजिश के तहत उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या रूपेण लिखकर स्वयं की हस्तलेख में हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया था क्योंकि उक्त शिकायतकर्त्ता को जानकारी थी कि दिनांक 23.12.2022 को सहखातेदारान् सूरजमल, रामदेव आदि द्वारा किये गये रास्ते को अवरूद्ध बाधा को मय पुलिस जाप्ता थाना किशनगढ के श्रीमान् तहसीलदार महोदय किशनगढ ने आदेश पर हटाया जाना है। उक्त दिनांक 22.12.2022 को उक्त खातेदारान् व्यक्तियों द्वारा दिये गये मिथ्या प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रकरण को दर्ज करके श्रीमान् तहसीलदार महोदय किशनगढ द्वारा अपीलार्थी को नोटिस भेजा गया जिस बाबत नोटिस तामिल के अपीलार्थी द्वारा जवाब मय सहमति विलेख नोटेराईज प्रस्तुत किया गया तथा शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर, दस्तावेज की प्रतियॉ भी प्रस्तुत करते हुए अपीलार्थी की कोटडी जो कि प्रचलित रास्ते पर निर्मित ही नही थी, कोटडी को ध्वस्त कर दी गई अतः दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश तथ्य व विधि में दृष्टिगत अपास्त किये जाने योग्य है। दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश में स्पष्ट लिखा है खसरा संख्या 2230/7 जो रास्ता दर्शाया हुआ है उसका मौके से आंशिक मिलान होता है प्रचलित रास्ते का भी मौके से मिलान नहीं लेता है तो उक्त रास्ते पर अपीलार्थी का पक्का कमरा चिन्हित कैसे कर दिया यह विधि व तथ्य की गंभीर भूल है। सहमति प्रलेख दिनांक 25.07.2011 सर्वोत्तम निश्चियात्मक साक्ष्य के रूप में दस्तावेज है जिस शिकायतकर्त्ता गण की स्वीकृति है तो सभी सहखातदारों के हस्ताक्षर नहीं होने पर भी दिनांक 23.12.2022 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार करके सूरजमल पुत्र रामचन्द्र निवासी मालियों की बाडी, किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान द्वारा उक्त प्रचलित रास्ते पर की गई बाधा, अतिक्रमण को श्रीमान् के आदेश से कैसे हटाया गया है जो कि विधि व तथ्य की उपधारण है जो कि साबित करती है कि दिनांक 24.01.2023 को आदेश मनमानना पूर्ण अभिनति पूर्ण है। धारा 251 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकृत प्रचलित रास्ते पर रास्ते के अधिकार, अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग स्वयं अपीलार्थी सहित अन्य सहखातेदार कर रहे है तो अपीलार्थी अपने स्वयं के रास्ते को कैसे अवरूद्ध बाधित कर सकता है अतः तथ्य व विधि के प्रतिकूल श्रीमान् तहसीलदार महोदय किशनगढ जिला अजमेर द्वारा दिनांक 24.01.2023 का पारित आदेश त्रुटिपूर्ण व विधि सम्मत नहीं है। दिनांक 23.12.2022 को अपीलार्थी द्वारा सूरजमल पुत्र रामचन्द्र द्वारा किये गये उक्त रास्ते पर श्रीमान् के आदेश से बाधा अतिक्रमण हटायी गयी थी जिस पर मौका रिपोर्ट भी की गई तो मौका रिपोर्ट उक्त पक्का निर्माण कमरा भी होना

जिला कलक्टर
अजमेर

चाहिये था उसे भी हटाना चाहिये था जो कि उक्त आदेश दिनांक 24.01.2023 को मनमाना पूर्ण अविधि सम्मत दर्शित करता है। उक्त धारा 251 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को उक्त शिकायतकर्त्ता द्वारा ग्राम पंचायत मालियों की बाडी में प्राथमिक रूप से शिकायत करनी चाहिये थी जो कि विधि की पालना नहीं की गई तथा ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस में पालना नहीं करती तो उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रवणाधिकार श्रीमान् को था जो कि विधि व तथ्य भी भूल है। अतः प्रकरण संख्या 1/2023 राजस्थान सरकार बनाम जगदीश को दिनांक 24.01.2023 को पारित आदेश को विधि व तथ्य के प्रतिकूल अपास्त किये जाने की कृपा फरमावे। साथ ही अपीलार्थी को कच्चे निर्माण चारा रखने की कोटड़ी को ध्वस्त करने पर अपूर्तनीय क्षति कारित होने पर मुआवजा राशि के भी आदेश प्रदान करने की कृपा फरमावें।

राजकीय पेरोकार ने बहस में निवेदन किया गया कि श्रीमान् तहसीलदार किशनगढ जिला अजमेर द्वारा दिनांक 24.01.2023 को पारित किया गया आदेश विधि पूर्ण है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, न्यायालय पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 25.07.2011 को निष्पादित बंटवारानामा सहमति विलेख की छायाप्रति मय नक्शा रिकार्ड पर है जो कि अपीलार्थी द्वारा जवाब अन्तर्गत 251 (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के संलग्न प्रस्तुत किया गया है, उक्त सहमति विलेख बंटवारानामा दिनांक 25.07.2011 के पृष्ठ संख्या 4 के पैरा संख्या 5 में टंकित कथनो के अवलोकन से जाहिर होता है शिकायतकर्ता गण द्वारा ही उक्त स्वीकृत बंटवारानामा सहमति विलेख के साथ संलग्न नक्शे में सहमति से रास्ते की भूमि छोडी है जो कि खसरा संख्या 2230/7 है, उक्त शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर अभिस्वीकृत बाबत बंटवारानामा सहमति विलेख पर मौजूद है तथा दिनांक 22.12.2022 को शिकायतकर्ता गण द्वारा प्रस्तुत शिकायत में खेतो का बंटवारा स्वीकृत किया है जिसमें सह खातेदार है। पत्रावली पर भी मौजूद पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा संख्या 2230/7 जो रास्ता दर्शाया हुआ है उसका मौके से आंशिक मिलान होने बाबत कथन लिखे गये आंशिक मिलान से अतिक्रमण की वस्तुस्थिति सटीक प्रतीत नहीं होती है तो किस प्रकार रास्ते पर तदाकथित अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। उक्त वस्तु स्थिति पटवारी रिपोर्ट तथा तहसीलदार किशनगढ के आदेश में स्पष्ट नहीं है। गौर किये जाने वाले तथ्य यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 25.07.2011 के सहमति विलेख बंटवारानामा के साथ संलग्न नक्शे में खसरा 2230/7 से स्पष्ट है जिसका मिलान कायम बिन्दु मुस्तकिल बिन्दु से किया जा सकता था। अतः अपीलांट की अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार किशनगढ का दिनांक 24.01.2023 को पारित किया आदेश तथ्य व विधि के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.01.2023 विधिपूर्वक मुर्तिब नहीं होने से निरस्त किया जाता है ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर